

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 13.6.2017

संख्या-12/प0-1008/10-सा0प्र0-7200/ बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर एवं मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए/सेवा वापस लेते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ 4 में अंकित पद एवं स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्रम सं०	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री अरशद फिरोज, बि०प्र०से०, 650/11, जमुई	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
2	श्री सत्येन्द्र कुमार, 976/11, पटना	जिला परियोजना प्रबंधक, गया के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा जीविका में अधिसूचित।	वरीय उप समाहर्ता, शिवहर।
3	सुश्री आरती, 1401/11, पटना	भू-संपदा पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना।	विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
4	मो० शमीम अख्तर, 575/11, पूर्णियाँ	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय।
5	श्री संतोष कुमार, 619/11, औरंगाबाद	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	वरीय उप समाहर्ता, जमुई।
6	श्री संजय कुमार, 734/11, दरभंगा	पदस्थापन की प्रतीक्षा में।	वरीय उप समाहर्ता, अररिया।
7	श्री जगदीश कुमार, 1105/11, मुंगेर	अधिसूचित वरीय उप समाहर्ता, पटना।	विशेष कार्य पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
8	श्री सुबोध कुमार, 1176/11, पटना	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा।	विशेष कार्य पदाधिकारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

2. उपर्युक्त क्रमांक 2, 4, 5 एवं 6 पर अंकित पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अर्न्तत संबंधित जिला क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है। साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-12/प0-1008/10-सा0प्र0-7200/पटना, दिनांक- 13.6.2017

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

B
12/6/17

सरकार के संयुक्त सचिव